

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

प्र0सं0 769/2024

उनवान

चतरानाथ पुत्र पन्नानाथ

बनाम

पोखरनाथ पुत्र पन्नानाथ वगैरहा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए


08-09-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1793 दिनांक 23.07.2025 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.01.2025 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव को वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम कालसांस प0 ह0 रीछड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र महुआकलां

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
पोखर नाथ पिता पन्नानाथ सा0 श्रीनगर कोदूकोटा खातेदार	2244/1	0.3263 है0
<b>कुल किता 01 कुल रकबा 0.3263 हैक्टेयर</b>		
मोहन नाथ पिता पन्नानाथ सा0 श्रीनगर कोदूकोटा खातेदार	2244/2	0.3079 है0
<b>कुल किता 01 कुल रकबा 0.3079 हैक्टेयर</b>		
चतरानाथ पिता पन्नानाथ सा0 श्रीनगर मु0 कोदूकोटा खातेदार	2240	0.0379 है0
	2241	0.3035 है0
	2242/2	0.4300 है0
	2244/3	0.5165 है0
<b>कुल किता 04 कुल रकबा 1.2879 हैक्टेयर</b>		
मोहन नाथ 1/2, चतरानाथ 1/2 पिता पन्नानाथ सा0 श्रीनगर, कोदूकोटा खातेदार	2242/1	0.0126 है0
	2244/4	0.0253 है0
<b>कुल किता 02 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर</b>		

तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 08-09-2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाडा